न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 25 / 2019

अपीलान्ट्स

1. पुखराज भाटी पुत्र श्री देवीलाल
2. महेश भाटी पुत्र श्री देवीलाल
3. सत्यनारायण भाटी पुत्र श्री देवीलाल
4. विजयसिंह भाटी पुत्र श्री देवीलाल
5. देवीलाल भाटी पुत्र श्री गोरधन भाटी
6. श्रीमती कमला पत्नी श्री देवीलाल भाटी
   सभी जाति घांची, निवासी जालोरी बारी के अन्दर, गर्ल्स सीनियर सैकण्डरी स्कूल के सामने, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. रामाराम पुत्र श्री छोटूराम
2. भींयाराम पुत्र श्री छोटूराम
   दोनों जाति मेघवाल, निवासी – ग्राम तनावड़ा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर (राज0)।
3. श्रीमान तहसीलदार लूणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर (राज0)।

नामान्तरकरण अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 बरखिलाफ नामान्तरकरण संख्या 402 दिनांक 27.01.1997 जो नायब तहसीलदार, लूणी द्वारा स्वीकृत किया जाकर ग्राम तनावड़ा, तहसील लूणी जिला जोधपुर के खेत खसरा संख्या 30 / 4 रकबा 29 बीघा 14 बिस्वा में से श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी (भू0रू0) जोधपुर के आदेश दिनांक 16.06.1995 व श्रीमान् नायब तहसीलदार, लूणी के आदेश दिनांक 09.12.1996 की पालना में भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित करके 6 बीघा भूमि के स्थान पर गलत रूप से 4 बीघा 14 बिस्वा भूमि का नामान्तरकरण भरा गया।

————

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री चेतनप्रकाश सोनी व एम0 के0 राठौड उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

–: **आदेश** :– दिनांक :– **19.08.2019**

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:13:07 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट अभिभाषक ने यह नामान्तरकरण अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 बरखिलाफ नामान्तरकरण संख्या 402 दिनांक 27.01.1997 जो नायब तहसीलदार, लूणी द्वारा स्वीकृत किया जाकर ग्राम तनावड़ा, तहसील लूणी जिला

जोधपुर के खेत खसरा संख्या 30/4 रकबा 29 बीघा 14 बिस्वा में से श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी (भू0रू0) जोधपुर के आदेश दिनांक 16.06.1995 व श्रीमान् नायब तहसीलदार, लूणी के आदेश दिनांक 09.12.1996 की पालना में भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित करके 6 बीघा भूमि के स्थान पर गलत रूप से 4 बीघा 14 बिस्वा भूमि का नामान्तरकरण भरा गया के विरूद्ध पेश की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट की खरीदसुदा, पट्टासुदा, एवं अधिपत्य की एक भूमि खसरा नं0 30/4 रकबा 29 बीघा 14 बिस्वा में से 6 बीघा ग्राम तनावाड़ा, पटवार हल्का मोगड़ा कलां, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लूणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर में आई हुई है। यह भूमि मूल रूप से खसरा नं0 30/4 रकबा 29 बीघा 14 बिस्वा का हिस्सा थी व है। इस मूल खसरा संख्या 30/4 रकबा 29 बीघा 14 बिस्वा के मूल खातेदार रेस्पोडेन्ट रामाराम व भीयाराम थे।

उक्त खसरे में से 6 बीघा कृषि भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ परिवर्तन करने हेतु श्रीमान उपखण्ड अधिकारी भूमि रूपान्तरण (प्राधिकृत अधिकारी) जोधपुर के समक्ष दिनांक 16.05.1995 को एक संयुक्त साईट प्लान (नक्शा) पेश करके अलग–अलग भूखण्ड़ो के लिए अलग–अलग आवेदन प्रस्तुत किये। इस पर श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, भूमि रूपान्तरण (प्राधिकृत अधिकारी) जोधपुर ने अलग–अलग प्रकरण यानि प्रकरण संख्या 1572/1995 से प्रकरण संख्या 1577/1995 दर्ज किया और इसके बाद उक्त प्रकरणों में निर्णय दिनांक 16.06.1995 के द्वारा आवेदित भूमि के नियमानुसार पट्टा विलेख जारी किये गये और श्रीमान तहसीलदार, जोधपुर को राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त करने हेतु सूचित किया।

इसके बाद खसरा सं0 30/4 के खातेदारान् रामाराम व भीयाराम ने श्रीमान तहसीलदार लूणी के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत करके आबादी भूमि का नामान्तरकरण दर्ज करने का निवेदन किया और उस आवेदन में खातेदारों के द्वारा अपने खसरे की कुल 29 बीघा 14 बिस्वा भूमि में से 6 बीघा अर्थात् 11616 वर्गगज भूमि को कृषि भूमि से आवासीय भूमि में नामान्तरकरण भरने का निवेदन किया लेकिन राजस्व अधिकारियों ने गलत रूप से 6 बीघा भूमि का नामान्तरकरण नहीं भरकर केवलमात्र 4 बीघा 14 बिस्वा भूमि का ही नामान्तरकरण संख्या 402 भरा और रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने इस नामान्तरकरण को बिना किसी जांच के स्वीकृत कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:13:07 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट अभिभाषक द्वारा यह अपील प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये जो विधिवत् तामिल होना पाया गया। प्रकरण से संबंधित मूल रेकर्ड तहसीलदार लूणी से प्राप्त किया गया।

अपीलान्ट के अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि यह नामान्तरकरण अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 बरखिलाफ नामान्तरकरण संख्या 402 दिनांक 27.01.1997 जो नायब तहसीलदार, लूणी द्वारा स्वीकृत किया जाकर ग्राम तनावड़ा, तहसील लूणी जिला जोधपुर के खेत खसरा संख्या 30/4 रकबा 29 बीघा 14 बिस्वा में से श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी (भू0रू0) जोधपुर के आदेश दिनांक 16.06.1995 व श्रीमान् नायब तहसीलदार, लूणी के आदेश दिनांक 09.12.1996 की पालना में भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित करके 6 बीघा भूमि के स्थान पर गलत रूप से 4 बीघा 14 बिस्वा भूमि का नामान्तरकरण भरा गया के विरूद्ध पेश की है।

अपीलान्ट की खरीदसुदा, पट्‌टासुदा, एवं अधिपत्य की एक भूमि खसरा नं0 30/4 रकबा 29 बीघा 14 बिस्वा में से 6 बीघा ग्राम तनावाड़ा, पटवार हल्का मोगड़ा कलां, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लूणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर में आई हुई है। यह भूमि मूल रूप से खसरा नं0 30/4 रकबा 29 बीघा 14 बिस्वा का हिस्सा थी व है। इस मूल खसरा संख्या 30/4 रकबा 29 बीघा 14 बिस्वा के मूल खातेदार रेस्पोडेन्ट रामाराम व भीयाराम थे।

उक्त खसरे में से 6 बीघा कृषि भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ परिवर्तन करने हेतु श्रीमान उपखण्ड अधिकारी भूमि रूपान्तरण (प्राधिकृत अधिकारी) जोधपुर के समक्ष दिनांक 16.05.1995 को एक संयुक्त साईट प्लान (नक्शा) पेश करके अलग–अलग भूखण्ड़ो के लिए अलग–अलग आवेदन प्रस्तुत किये। इस पर श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, भूमि रूपान्तरण (प्राधिकृत अधिकारी) जोधपुर ने अलग–अलग प्रकरण यानि प्रकरण संख्या 1572/1995 से प्रकरण संख्या 1577/1995 दर्ज किया और इसके बाद उक्त प्रकरणों में निर्णय दिनांक 16.06.1995 के द्वारा आवेदित भूमि के नियमानुसार पट्‌टा विलेख जारी किये गये और श्रीमान तहसीलदार, जोधपुर को राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त करने हेतु सूचित किया।

इसके बाद खसरा सं0 30/4 के खातेदारान् रामाराम व भीयाराम ने श्रीमान तहसीलदार लूणी के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत करके आबादी भूमि का नामान्तरकरण दर्ज करने का निवेदन किया और उस आवेदन में खातेदारों के द्वारा अपने खसरे की कुल 29 बीघा 14 बिस्वा भूमि में से 6 बीघा अर्थात् [illegible] वर्गगज भूमि को कृषि भूमि से आवासीय भूमि में नामान्तरकरण भरने का निवेदन किया लेकिन राजस्व अधिकारियों ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:13:07 IST
Reason: SelfAttested

गलत रूप से 6 बीघा भूमि का नामान्तरकरण नहीं भरकर केवलमात्र 4 बीघा 14 बिस्वा भूमि का ही नामान्तरकरण संख्या 402 भरा और रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने इस नामान्तरकरण को बिना किसी जांच के स्वीकृत कर दिया।

हमने उभयपक्ष अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। इस प्रकरण में तथ्यात्मक स्थिति यह है कि नामान्तरकरण संख्या 402 दिनांक 27.01.1997 जो नायब तहसीलदार, लूणी द्वारा स्वीकृत किया जाकर ग्राम तनावड़ा, तहसील लूणी जिला जोधपुर के खेत खसरा संख्या 30/4 रकबा 29 बीघा 14 बिस्वा में से श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी (भू0रू0) जोधपुर के आदेश दिनांक 16.06.1995 व श्रीमान् नायब तहसीलदार, लूणी के आदेश दिनांक 09.12.1996 की पालना में भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण 4 बीघा 14 बिस्वा भूमि का नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भूमि रूपान्तरण (प्राधिकृत अधिकारी), जोधपुर के प्रकरण संख्या 1572/95 से प्रकरण संख्या 1577/95 आदेश दिनांक 16.6.95 के द्वारा 9134 वर्गगज अर्थात् 4 बीघा 14 बिस्वा भूमि का ही भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण किया गया है और नायब तहसीलदार लूणी द्वारा उपरोक्त आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 402 दिनांक 27.1.97 को 4 बीघा 14 बिस्वा भूमि का स्वीकृत किया गया है। अतः अपीलाधीन नामान्तरकरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से एतद् खारिज की जाती है। अपीलाधीन मूल नामान्तरकरण निर्णय की प्रति के साथ पुनः भेजा जावे।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक 19.08.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:13:07 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2019.08.20 11:45:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: